सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड
राज्य सहकारी नीति- 2026

सहकार से समृद्धि, उत्तराखण्ड की प्रगति



सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अनुक्रमणिका

	शब्दावली	1
	पृष्ठभूमि	4
1.	भूमिका	5
2.	राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का विजन, मिशन और उद्देश्य	5
3.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति 2026 प्रस्तावना	8
4.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति 2026 का विजन, मिशन और उद्देश्य	8
5.	रणनीतिक मिशन स्तंभ I: नींव का सशक्तीकरण	13
6.	रणनीतिक मिशन स्तंभ II: जीवंतता को प्रोत्साहित करना	14
7.	रणनीतिक मिशन स्तंभ III: सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना	15
8.	रणनीतिक मिशन स्तंभ IV: समावेशिता को बढावा देना और पहुँच को विस्तार	16
9.	रणनीतिक मिशन स्तंभ V: नए क्षेत्रों में विस्तार एवं सतत सहकारिता	18
10.	रणनीतिक मिशन स्तंभ VI: सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना	20
11.	रणनीतिक मिशन स्तंभ VII: आर्थिक व्यवहार्यता और विविधीकरण	23
12.	विविध	26
13.	निगरानी और कार्यान्वयन संरचना	29
14.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति कार्यान्वयन रोड़मैप	30
	निष्कर्ष	31

शब्दावली

1. **BIRD (Bankers Institute Of Rural Development):** ग्रामीण विकास, कृषि, वित्त, बैंकिंग एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, अनुसंधान तथा नीतिगत सहयोग प्रदान करने वाला नाबार्ड द्वारा स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान।
2. चक्रीय अर्थव्यवस्था (**Circular Economy**)**:** पर्यावरण के अनुकूल आचरणों और चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रथाएं जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management), पुनर्चक्रण (Recycling) सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक कचरे से ऊर्जा का उत्पादन शामिल हैं।
3. जलवायु–अनुकूल कृषि (**Climate–Smart Agriculture**)**:** सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को तकनीक, उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करके जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाना और उनकी फसल व आय को सुरक्षित करना ।
4. को–ऑपरेटिव–कॉर्पोरेट पार्टनरशिप मॉडल (**Cooperative–Corporate Partnership Model**)**:** सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक नियंत्रण को बनाये रखते हुए उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में निगम/निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से सहकारी समितियों की बाजार पहुँच और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने का मॉडल।
5. **Cooperative Stack** (सहकारिता स्टैक)**:** सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण और डेटा एकीकरण के लिए तैयार किया जा रहा एक राष्ट्रीय तकनीकी बुनियादी ढांचा, जो रीयल–टाइम डेटा और संचालन सुनिश्चित करता है ।
6. **DCCB** (**District Central Cooperative Bank /** जिला सहकारी बैंक)**:** जिला स्तर पर कार्य करने वाले सहकारी बैंक, जो बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (जैसे MPACS) को वित्तपोषण और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं ।
7. डिजिटल ग्रामीण बैंकिंग मॉडल (**Digital Rural Banking Model**): एक ऐसा मॉडल जिसके अंतर्गत उत्तराखण्ड के जिला सहकारी बैंकों को एकीकृत डिजिटल मार्केट प्लेस, क्लाउड आधारित सिस्टम और मोबाईल फर्स्ट सेवाओं के साथ विकसित किया जाएगा।
8. हब **&** स्पोक मॉडल (**Hub & Spoke Model**)**:** यह दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों तक सहकारी सेवाओं को पहुँचाने का एक तंत्र है । इसके तहत PACS के सैटेलाइट केंद्र और मोबाइल सहकारी इकाइयां संचालित की जाएंगी ताकि हर भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंच बन सके ।
9. **ICCRMT (Institute of Cooperative and corporate Management Research and Traning) :** सहकारी एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रबंधन शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा संस्थागत क्षमता निर्माण हेतु समर्पित प्रमुख संस्थान।
10. लखपति दीदी **:** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सहकारी समितियों से जुड़ी वे महिलाएं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये या उससे अधिक हो गई है ।

11. **LINAC (Laxmanrao Inamdar National Academy For Cooperative Research and development) :** सहकारी संस्थाओं के नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित राष्ट्रीय अकादमी।

12. **M–PACS** (**Multipurpose PACS /** बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति)**:** ऐसी PACS जो केवल ऋण देने तक सीमित न रहकर डेयरी, मत्स्य पालन, जन औषधि केंद्र, भंडारण और अन्य विविध व्यावसायिक गतिविधियों का भी संचालन करती हैं।

13. **NABARD** (**National Bank for Agriculture and Rural Development /** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)**:** कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत का शीर्ष विकास वित्तपोषण संस्थान, जो सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त (Refinance) सुविधाएँ भी देता है।

14. **NCDC** (**National Cooperative Development Corporation /** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम)**:** भारत सरकार के अंतर्गत एक वैधानिक निगम, जो सहकारी समितियों के विकास, वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के लिए कार्य करता है।

15. **NCEL** (**National Cooperative Exports Limited /** राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड)**:** सहकारी क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था।

16. **NDDB** (**National Dairy Development Board) :** भारत सरकार की एक शीर्ष संस्था जो दुग्ध सहकारिता के माध्यम से डेरी क्षेत्र के विकास, दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि, मूल्य श्रृंखला, सुदृढ़ीकरण तथा दुग्ध उत्पादक किसानों की आजीविका संवर्द्धन हेतु कार्य करती है।

17. **NFDB** (**National Fisheries Development Board) :** भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन जो सतत मत्स्य एवं जलीय कृषि विकास को प्रोत्साहित करने, मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा मछुआरों एवं मत्स्य पालकों की आजीविका सुदृढ़ करने हेतु कार्य करता है।

18. **ONDC** (**Open Network for Digital Commerce /** ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स)**:** भारत सरकार द्वारा समर्थित एक डिजिटल नेटवर्क, जो सहकारी समितियों और छोटे व्यापारियों को ई–कॉमर्स बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करता है ।

19. **PACS** (**Primary Agricultural Credit Society /** प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति)**:** ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने वाली बुनियादी सहकारी संस्थाएं, जो मुख्य रूप से किसानों को अल्पकालिक ऋण और अन्य कृषि सेवाएँ प्रदान करती हैं।

20. पीएमयू **/ PMU** (परियोजना प्रबंधन इकाई)**:** सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित एक राज्य स्तरीय इकाई (Project Management Unit)।

21. सहकार से समृद्धि (**Sahakar Se Samriddhi**)**:** सहकारिता आंदोलन को मजबूत करके देश के प्रत्येक नागरिक का आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने का भारत सरकार का मुख्य विजन ।

22. स्वायत्त (सेल्फ–रिलायंट) सहकारिता अधिनियम (**Self Reliant Act**)**:** यह सहकारी संस्थाओं को स्व–शासन

(Self–governance), वास्तविक स्वायत्तता और संचालन की सुगमता प्रदान करने वाला कानूनी ढांचा है।

23. त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (**Tribhuvan Cooperative University**): सहकारिता के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण प्रदान करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ।

24. **UCB** (**Urban Cooperative Bank /** शहरी सहकारी बैंक)**:** शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने वाले सहकारी बैंक।

25. **UICCRMT** (उत्तराखंड सहकारी कॉर्पोरेट ग्रामीण प्रबंधन कृषि व्यवसाय और प्रशिक्षण संस्थान)**:** राज्य स्तर सहकारी शिक्षा, प्रबंधन, कृषि व्यवसाय और प्रशिक्षण के लिए एक प्रस्तावित राज्य स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान (Center of Excellence) ।

26. **VAMNICOM** (**Vaikunth Mehta national Institute Of Cooperative Management) :** भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान जो सहकारी क्षेत्र में प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श सेवाओं तथा क्षमता निर्माण हेतु समर्पित है।

27. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (**VVP**)**:** भारत की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार व पलायन को कम करना है।

विकसित भारत 2047 (**Viksit Bharat** 2047)**:** भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर, वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य ।

पृष्ठभूमि

I. उत्तराखण्ड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ विशेषतः पर्वतीय भू–आकृति, सीमांत एवं लघु कृषकों की प्रधानता, कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों पर आधारित आजीविका, सीमित औद्योगिकीकरण तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होती चुनौतियाँ राज्य के विकास मॉडल को विशिष्ट बनाती हैं। इन परिस्थितियों में सहकारिता क्षेत्र राज्य में समावेशी, संतुलित एवं सतत विकास के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है जिसमें सहकारी समितियों की संख्या, डिजिटलीकरण, सदस्यता विस्तार तथा महिला सहभागिता में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।

II. राज्य में सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि ऋण, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, विपणन, उपभोक्ता सेवाएँ, आवास, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से ग्रामीण समुदायों का संगठन कर वित्तीय समावेशन, आजीविका सुरक्षा एवं सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

III. वर्तमान में बदलते आर्थिक परिदृश्य, बाजार–आधारित कृषि प्रणाली, तकनीकी नवाचार, पारदर्शिता की बढ़ती अपेक्षाएँ तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप सहकारी संस्थाओं के पुनर्संरचना एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता और अधिक प्रबल रूप से अनुभव की जा रही है।

IV. राज्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। तथापि, गतिविधियों का सीमित विविधीकरण, संस्थागत क्षमता की कमी तथा कुछ क्षेत्रों में असंतुलित विकास जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में मूल्य–श्रृंखला विकास को सुदृढ़ करने हेतु संयुक्त सहकारी एवं प्राकृतिक खेती, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ईको–पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, विपणन एवं मूल्य संवर्धन गतिविधियों तथा सीमांत क्षेत्रों सहित नए क्षेत्रों में सहकारिता आधारित विकास को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता को नीति स्तर पर संगठित समर्थन प्रदान किया जाना आवश्यक है।

V. महिला एवं युवा सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा पारदर्शी एवं प्रभावी सहकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता क्षेत्र में ई–गवर्नेंस, पेशेवर प्रबंधन, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

VI. राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के आलोक में तथा उत्तराखण्ड की स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक विशिष्टताओं एवं सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित राज्य सहकारी नीति का निर्माण किया गया है।

1. भूमिका

1.1 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना तथा राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025 के माध्यम से सहकारी आंदोलन को नई दिशा प्रदान की गई है। इसी परिपेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य की नीति एवं कानूनी संरचना को राष्ट्रीय रोडमैप के साथ संरेखित करते हुए राज्य–विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एक समर्पित नीति की आवश्यकता अनुभव की गई है।

1.2 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति, 2026 भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित "सहकार से समृद्धि" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, राज्य में सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित, सुदृढ़ एवं भविष्योन्मुखी बनाने हेतु एक रणनीतिक ढांचा प्रस्तुत करती है। यह नीति वर्ष 2002 की राष्ट्रीय सहकारी नीति के पश्चात विगत दो दशकों में आए व्यापक वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए सहकारी क्षेत्र को वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्संरचित करने का प्रयास है।

1.3 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति, 2026 का लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम, तकनीकी रूप से सुदृढ़, प्रशासनिक रूप से पारदर्शी एवं व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में मूल्य–श्रृंखला विकास, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन तथा 'पलायन से पुनर्वास' की दिशा में ठोस पहल करना है।

2. राष्ट्रीय सहकारी नीति (NCP) 2025 का विजन, मिशन और उद्देश्य

विजनः 'सहकार–से–समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करते हुए सतत् सहकारी विकास हेतु अनुकूल वातावरण के निर्माण द्वारा वर्ष 2047 तक 'विकसित' बनने की राष्ट्र की सामूहिक महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना।

मिशनः सहकारी आन्दोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और सघन करने के लिए एक सक्षम विधिक, आर्थिक और संस्थागत सरंचना का सृजन करना तथा लोगो (सदस्यों) द्वारा उत्पादन को बढावा देने के लिए सहकारी उद्यमों को पेशेवर रूप से प्रबंधित, पारदर्शी, तकनीक संपन्न, जीवंत और जिम्मेदार आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित होने में सहायता करना।

राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के मिशन की प्राप्ति छह रणनीतिक मिशन स्तंभों द्वारा की जाएगी जो निम्नानुसार है–

I. नींव का सशक्तीकरणः सहकारी आन्दोलन की नींव को ओर अधिक मजबूत करना।

II. **जीवंतता को प्रोत्साहित करना:** जीवंत और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना।

III. सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना: सहकारी समितियों को पेशेवर एवं सतत् टिकाऊ आर्थिक इकाइयों में परिवर्तित करना।

IV. समावेशिता को बढावा देना औरं पहुँच का विस्तार करना: सहकारी आधारित समावेशी विकास और सहकारी समितियों को जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करना।

V. नये और उभरते क्षेत्रों में विस्तार: सहकारी समितियों के नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार को प्रोत्साहित करना।

VI. सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना: युवा पीढ़ी को प्रेरित करना और उन्हें अनुभव आधारित ज्ञान प्रदान करना, जो ग्रामीण सहकारी परिवेश से उनके जुडाव को विकसित करेगा।

उद्देश्य:

नीति के मिशन को आगामी 10 वर्षो में निम्नलिखित उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिन्हें छह रणनीतिक मिशन स्तंभाकं के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया है–

नींव का सशक्तीकरण:

- समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल विधिक और विनियामक माहौल निर्मित करके सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्रदान करना, पारदर्शिता, सुगमता और सुशासन को बढावा देना एवं उन्हें समान अवसर प्रदान करना।
- अन्य आर्थिक संस्थानों की तरह उन्हें सुगम और किफायती वित्त तथा समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना।
- सहकारिता में सहकार, सहकारी संरचना का सशक्तीकरण और उनकी भौगोलिक पहुँच का विस्तार करना।

जीवंतता को प्रोत्साहित करना:

- सहकारी व्यवसाय इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना।
- अंतराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सहित बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहित करना तथा सदस्यों की आय में वृद्धि करना।

सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना:

- प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- सहकारी समितियों को सहकारी सिद्धांतो पर आधारित पेशेवर–प्रबंधित आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित होने में सहयोग करना।

समावेशिता को बढावा देना औरं पहुँच का विस्तार करना:

- समावेशिता और सदस्य केंद्रीयता को बढावा देना तथा सहकारी व्यवस्था के माध्यम से देश के सभी हिस्सों और जनता तक पहुँच बनाना।
- विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढावा देना।

नये और उभरते क्षेत्रों में विस्तार:

- नये और उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विस्तार को प्रोत्साहित करना।
- सतत्ता हेतु पर्यावरण–अनुकूल आचरणों और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना:

- युवाओं विशेषकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना।
- मानकीकृत, उच्च कोटि, सहकार–केंद्रित पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना और प्राधिकृत विषयवस्तु का निर्माण करना।
- सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और कौशल बढ़ाने वाले इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।
- सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगो को अंशकालिक विषय विशेषज्ञ, उत्कृष्ट शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और अतिथि संकाय की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूँढ़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुगम इकोसिस्टम विकसित करना।

3. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति 2026

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना में सामुदायिक सहयोग, सहभागिता तथा आत्मनिर्भरता की परंपरा ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रही है। पर्वतीय, दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका, संसाधनों के संरक्षण तथा स्थानीय विकास के लिए सहकारिता एक प्रभावी एवं व्यवहारिक माध्यम के रूप में उभरकर सामने आई है। सहकारिता, स्वैच्छिक सहभागिता, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा समान लाभ–वितरण के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सामूहिक रूप से अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में सहकारी मॉडल समावेशी विकास, सामाजिक न्याय तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास का सशक्त साधन सिद्ध हो सकता है।

राज्य के पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन, सीमित आर्थिक अवसर, बिखरी हुई बस्तियाँ तथा आधारभूत सेवाओं तक पहुँच की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सहकारिता को एक संगठित, सक्षम एवं व्यावसायिक ढाँचे के रूप में विकसित किया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर सतत आजीविका के अवसर सृजित हो सकें। सहकारी संस्थाएँ न केवल आर्थिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि ये सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भागीदारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत वर्गों के उत्थान का भी प्रभावी उपकरण हैं।

उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक विशिष्टताओं, स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों की उपलब्धता तथा विकासात्मक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, सहकारी आंदोलन को नई दिशा प्रदान करने, संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करने तथा सहकारिता आधारित विकास को गति देने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति 2026 प्रतिपादित की जा रही है। यह नीति पूर्ववर्ती नीतियों का मात्र क्रमिक अद्यतन न होकर एक सुधारोन्मुख एवं परिवर्तनकारी नीतिगत ढाँचा है, जिसका लक्ष्य सहकारी संस्थाओं में नई ऊर्जा का संचार, विश्वास की पुनर्स्थापना, आधुनिक, पेशेवर एवं प्रतिस्पर्धी आर्थिक संस्थाओं को आत्मनिर्भर, पारदर्शी एवं सतत आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित करना है, जिससे राज्य के समग्र, संतुलित एवं समावेशी विकास में सहकारिता की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जा सके।

4. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति 2026 का विजन, मिशन एवं उद्देश्य

विजनः विकसित भारत के लक्ष्यों को गति प्रदान करने हेतु "सहकार से समृद्धि" के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप राज्य में एक आत्मनिर्भर, सदस्य–केंद्रित, पेशेवर रूप से प्रबंधित, प्रौद्योगिकी–सक्षम एवं जलवायु–सहिष्णु सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र की

स्थापना करना जो विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करे।

मिशनः सहकारी समितियों को वास्तविक स्वायत्तता, व्यवसाय करने में सुगमता तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं के समकक्ष समान अवसर प्रदान करने हेतु एक सक्षम, पारदर्शी एवं उत्तरदायी विधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक वातावरण का निर्माण करना, जो ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था के सतत विकास का प्रमुख आधार बने तथा प्रत्येक सहकारी सदस्य के लिए आर्थिक समृद्धि, आजीविका सुरक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करे।

इसके अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के समूह में न्यूनतम एक जीवंत बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करना, जिससे स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग तथा कृषि, गैर–कृषि एवं नये उभरते क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन एवं सदस्य–आधारित समृद्धि को प्रोत्साहन मिल सके।

रणनीतिक मिशन स्तम्भः

- नींव का सशक्तीकरण राज्य में सहकारी आंदोलन की संस्थागत नींव को और अधिक सुदृढ़ करते हुये राज्य के सहकारी पारितंत्र को राष्ट्रीय एवं वैश्विक सहकारी ढाँचों से प्रभावी रूप से जोड़ना।
- जीवंतता को प्रोत्साहित करना – राज्य में जीवंत, सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर सहकारी संस्थाओं के विकास हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना।
- सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना– सहकारी समितियों को पेशेवर एवं प्रौद्योगिकी–सक्षम इकाइयों के रूप में विकसित करते हुए आत्मनिर्भर एवं भविष्योन्मुख बनाना।
- समावेशिता को बढावा देना और पहुँच का विस्तार करना– राज्य में महिलाओं, युवाओं एवं वंचित वर्गों की सक्रिय एवं प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करना।
- नये और उभरते क्षेत्रो में विस्तार– सहकारी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार करते हुए उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि, आयुष, पर्यटन, मूल्य–संवर्धन, भंडारण, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य क्षेत्रों में सक्षम करना।
- सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना –युवा पीढ़ी को सहकारी आंदोलन से जोड़ने हेतु क्षमता निर्माण, कौशल विकास, उद्यमिता, नेतृत्व प्रशिक्षण एवं अनुभव–आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक व्यवहार्यता एवं विविधीकरण– सहकारी संस्थाओं को दीर्घकालिक रूप से लाभकारी एवं प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना तथा कृषि, गैर–कृषि एवं उभरते क्षेत्रों में गतिविधियों के विविधीकरण को

प्रोत्साहित करना।

उद्देश्यः

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति,2026 का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विद्यमान संरचनात्मक ठहराव एवं संस्थागत दुर्बलताओं—जैसे पुरानी विधिक व्यवस्थाएँ, सीमित स्वायत्तता, अपारदर्शी प्रक्रियाएँ तथा मानव संसाधन संबंधी असंतुलन—को संबोधित करते हुए सहकारी क्षेत्र का व्यापक, समावेशी एवं सतत पुनरुद्धार करना है।

नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति आगामी दस वर्षों की अवधि में सात रणनीतिक मिशन स्तंभों के माध्यम से की जाएगी, जिनके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के विधिक, संस्थागत, वित्तीय, प्रबंधकीय एवं तकनीकी सुदृढ़ीकरण हेतु समन्वित एवं परिणामोन्मुख हस्तक्षेप किए जाएंगे।

नींव का सशक्तीकरण:

- राज्य में प्रचलित सहकारी विधिक ढाँचे, विशेषतः उत्तराखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 एवं नियमावली 2004 तथा उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारी अधिनियम, 2003 का समसामयिक आर्थिक, तकनीकी एवं संस्थागत आवश्यकताओं के अनुरूप समीक्षा, संशोधन एवं सुदृढ़ीकरण इस उद्देश्य से किया जाये कि सहकारी समितियों को वास्तविक स्वायत्तता एवं संचालन की सुगमता प्राप्त हो सके।
- सहकारिता विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों/प्राधिकरणों/निगमों के मध्य संस्थागत अंतर–विभागीय समन्वय तंत्र इस उद्देश्य से किया जाय विकसित किया जाये कि सहकारी विकास से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतिगत निर्णयों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- सहकारी समितियों के प्रबंधन में व्यावसायिकता, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता तथा संचालन में जवाबदेही के उच्चतम मानकों को अपनाने हेतु आवश्यक नीतिगत, प्रशासनिक एवं क्षमता निर्माण संबंधी उपाय किए जाएँ।
- सहकारी सदस्यों के हितों की सुरक्षा, विवादों के त्वरित निस्तारण तथा सहकारी प्रणाली में विश्वास सुदृढ़ करना।

जीवंतता को प्रोत्साहित करना:

- प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर एवं व्यवहारिक रूप से बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं के रूप में इस उद्देश्य से विकसित किया जाय कि वे ऋण गतिविधियों के अतिरिक्त विविध व्यावसायिक, सेवा एवं सामुदायिक कार्यों का संचालन कर सकें।
- सहकारी समितियों, विशेष रूप से लघु एवं सीमांत उद्यमों के लिए, किफायती, समयबद्ध एवं सुलभ ऋण तथा पूंजी तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त नीतिगत, वित्तीय एवं संस्थागत तंत्र विकसित किया जाये।

सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना:

- राज्य के संपूर्ण सहकारी क्षेत्र का व्यापक डिजिटलीकरण किया जाए, जिसके अंतर्गत कागज–आधारित प्रक्रियाओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर रियल–टाइम लेखांकन, ई–गवर्नेंस एवं पारदर्शी प्रबंधन प्रणालियों को इस उद्देश्य से अपनाया जाये कि संचालन दक्षता, पारदर्शिता एवं सदस्यों को प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- किसानों/सदस्यों को बाजार से बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करने हेतु मूल्य–श्रृंखला आधारित सहकारी उद्यमों का विकास किया जाये तथा कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्यिकी एवं वानिकी क्षेत्रों आदि में सहकारिता–आधारित फार्म–टू–मार्केट मॉडलों को सुदृढ़ कर किसानों की आय में स्थायी एवं सतत वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

समावेशिता को बढावा देना और पहुँच का विस्तार करना:

- राज्य में सहकारी आंदोलन को समावेशी विकास के साधन के रूप में सुदृढ़ करते हुए महिलाओं, युवाओं तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों की सक्रिय, सार्थक एवं समान भागीदारी इस उद्देश्य से सुनिश्चित किया जाय कि समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति तक सहकारिता के लाभ प्रभावी रूप से पहुँच सकें। इसी क्रम में सामाजिक सुरक्षा, आवास, उपभोक्ता संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन आदि से संबंधित गतिविधियों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को सुदृढ़ किया जाये।
- सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में सीमित न रखते हुए निर्णय–निर्माण एवं प्रबंधन में प्रभावी सहभागिता प्रदान की जाए तथा महिला एवं युवा सहकारी संस्थाओं/उद्यमों को प्रोत्साहित कर

सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण को संस्थागत स्वरूप दिया जाए।

नये और उभरते क्षेत्रों में विस्तार:

- राज्य में सहकारी आंदोलन के विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु पारंपरिक कृषि के साथ–साथ प्राकृतिक खेती, हरित ऊर्जा, ड्रोन एवं कृषि–तकनीक, कोल्ड–चेन एवं भंडारण अवसंरचना, ई–मार्केटिंग, जलवायु–स्मार्ट कृषि, कार्बन क्रेडिट, कृषि–लॉजिस्टिक्स एवं अन्य उभरते क्षेत्रों में सहकारी पहलों को नीतिगत समर्थन प्रदान किया जाए।
- नये एवं उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अनुकूल कानूनी, वित्तीय, तकनीकी एवं संस्थागत वातावरण का इस उद्देश्य से सृजन किया जाए कि सहकारिता को नवाचार–आधारित, प्रतिस्पर्धी एवं भविष्य–उन्मुख आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित किया जा सके।

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना:

- सहकारी संस्थाओं, उनके सदस्यों, संचालक मण्डलों एवं कार्मिकों हेतु मानव संसाधन विकास, शिक्षण–प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जाए जिससे सहकारी प्रबंधन में दक्षता सुदृढ़ हो सके।
- ग्रामीण, शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक कैरियर अवसरों हेतु प्रेरित किया जाए तथा सहकारिता को रोजगार एवं उद्यमिता का आकर्षक माध्यम बनाया जाए।
- सहकारी क्षेत्र में युवाओं एवं महिलाओं के कौशल विकास, नेतृत्व एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु लक्षित कार्यक्रमों एवं संस्थागत समर्थन की व्यवस्था की जाए।
- सहकार–केन्द्रित पाठ्यक्रमों, अनुभव–आधारित अधिगम एवं प्रशिक्षण पारितंत्र के विकास को बढ़ावा देकर युवाओं का ग्रामीण सहकारी परिवेश से जुड़ाव सुदृढ़ किया जाए।

आर्थिक व्यवहार्यता और विविधीकरण :

- सहकारी समितियों को केवल ऋण वितरण या पारंपरिक गतिविधियों तक सीमित न रखकर बहुआयामी व्यावसायिक

संस्थाओं के रूप में विकसित करना।

- उत्तराखंड में सहकारी संस्थाओं को दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर, लाभकारी एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आर्थिक व्यवहार्यता एवं विविधीकरण को अपनाना।
- सहकारी संस्थाओं को बैंकिंग सुविधाओं, कार्यशील पूंजी, कैश–क्रेडिट, वैल्यू–चेन फाइनेंस एवं बीमा उत्पादों से प्रभावी रूप से जोड़ना।

5: रणनीतिक मिशन स्तंभ I: नींव का सशक्तीकरण

उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति, 2026 का मुख्य केंद्र 'नींव का सशक्तिकरण' है। राज्य के ग्रामीण, शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में सहकारी ढांचे की नीव को इस उद्देश्य से मजबूत करना है कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके।

नींव का सशक्तीकरण से सम्बन्धी उद्देश्य प्राप्त करने की रणनीतियाँ

5.1 विधिक ढांचे का सुदृढ़ीकरणः उत्तराखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 एवं नियमावली, 2004 तथा उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारी अधिनियम, 2003 की समसामयिक आर्थिक, तकनीकी एवं संस्थागत आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र समीक्षा, संशोधन एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों/विशेषज्ञो की एक कमेटी का गठन किया जाए जिससे सहकारी समितियों को वास्तविक स्वायत्तता एवं संचालन की सुगमता प्राप्त हो सके।

5.2 स्वायत्तता एवं व्यवसाय में सुगमताः सहकारी समितियों हेतु Ease of Doing Cooperative Business सुनिश्चित करते हुए सरल, समयबद्ध एवं डिजिटल पंजीकरण प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

5.3 संस्थागत एवं प्रशासनिक समन्वयः सहकारिता विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों, प्राधिकरणों एवं निगमों के मध्य संस्थागत अंतर–विभागीय समन्वय तंत्र इस उद्देश्य से विकसित किया जाये कि नीतियों एवं योजनाओं का समन्वित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

5.4 सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेहीः सहकारी समितियों में व्यावसायिक प्रबंधन, पारदर्शी शासन एवं जवाबदेही संचालन सुनिश्चित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएँ एवं प्रदर्शन–आधारित मूल्यांकन को संस्थागत रूप से अपनाया जाए।

5.5 विवाद समाधान तंत्र का सुदृढ़ीकरणः सहकारी सदस्यों के हितों की सुरक्षा एवं प्रणाली में विश्वास बनाए रखने हेतु स्वतंत्र, दक्ष एवं समयबद्ध विवाद समाधान तंत्र, जिसमें सहकारी न्यायाधिकरण की क्षमता वृद्धि एवं तकनीक–आधारित निस्तारण शामिल हो, को सुदृढ़ किया जाए।

6. रणनीतिक मिशन स्तंभ II : जीवंतता को प्रोत्साहित करना

उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताओं, सीमित आजीविका विकल्पों तथा निरंतर हो रहे पलायन के दृष्टिगत सहकारिता केवल वित्तीय संस्थान न होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जीवंत व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। नीति का यह स्तंभ सहकारी संस्थाओं को निष्क्रिय ऋण–आधारित ढांचे से निकालकर सक्रिय, प्रतिस्पर्धी, नवाचारी और आत्मनिर्भर सहकारी उद्यमों में रूपांतरित करने पर केंद्रित है। सहकारी समितियों को बहु–उद्देशीय ग्रामीण व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करना, सहकारी व्यवसायों की आय, लाभप्रदता एवं सदस्यों की औसत आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित करना स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना एवं सहकारी संस्थाओं को पलायन रोकने के प्रभावी साधन के रूप में स्थापित करना।

जीवंतता को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी उद्देश्य प्राप्त करने की रणनीतियाँ

6.1 बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाएँ प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) एवं अन्य प्राथमिक समितियों को ऋण–केन्द्रित भूमिका से आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर एवं बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाये।

6.2 व्यवसाय विविधीकरण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि आदान, उपभोक्ता सेवाएँ, डेयरी, बागवानी, मत्स्य, जड़ी–बूटी, पर्यटन–संबद्ध सेवाएँ तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन "एक छत–अनेक सेवाएँ" मॉडल पर किया जाए।

6.3 पेशेवर प्रबंधन चयनित सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबंधक/सीईओ, प्रदर्शन–आधारित प्रबंधन प्रणाली एवं घाटे में चल रही समितियों हेतु टर्न–अराउंड तंत्र लागू किया जाए।

6.4 क्लस्टर एवं PPP मॉडल छोटी एवं कमजोर समितियों को जोड़कर क्लस्टर आधारित सहकारी उद्यम तथा हिमालयी उत्पादों हेतु प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन इकाइयाँ PPP मॉडल पर विकसित की जाये।

6.5 KCC का मानकीकृत क्रियान्वयन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी संचालन हेतु राज्य–स्तरीय SOP लागू की जाए।

7. रणनीतिक मिशन स्तंभ III: सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना

राज्य की सहकारी समितियाँ, विशेषकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), उत्तराखंड की ग्रामीण एवं पर्वतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। बदलते आर्थिक परिदृश्य, तीव्र डिजिटल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम, बढ़ती बाजार प्रतिस्पर्धा तथा सीमित सार्वजनिक संसाधनों के संदर्भ में सहकारी संस्थाओं को केवल ऋण वितरण अथवा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित रखना दीर्घकालिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। यह आवश्यक है कि सहकारी समितियों को स्वायत्त, आर्थिक रूप से सक्षम एवं व्यावसायिक आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित किया जाये, जो सहकारी सिद्धांतों—लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी एवं पारदर्शिता के अनुरूप कार्य करते हुए भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना सम्बन्धी उद्देश्य प्राप्त करने की रणनीतियाँ

7.1 डिजिटलीकरण एवं ई–गवर्नेंस राज्य के समस्त सहकारी क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से कागज–आधारित प्रक्रियाओं का उन्मूलन करते हुए रियल–टाइम लेखांकन, बैंकिंग, ई–गवर्नेंस एवं पारदर्शी प्रबंधन प्रणालियाँ लागू की जाये।

7.2 मूल्य–श्रृंखला एवं फार्म–टू–मार्केट मॉडल कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्यिकी एवं वानिकी आदि क्षेत्रों में मूल्य–श्रृंखला आधारित सहकारी उद्यमों तथा सहकारिता–आधारित फार्म–टू–मार्केट मॉडलों को इस उद्देश्य से सुदृढ़ किया जाए जिससे किसानों/सदस्यों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित हो।

7.3 एग्री–बिजनेस एवं ग्रामीण सेवा केंद्र MPACS एवं अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों को चरणबद्ध रूप से एग्री–बिजनेस एवं ग्रामीण सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए जिनके माध्यम से कृषि यंत्र किराया, भंडारण, कोल्ड–चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण, दुग्ध, बागवानी, जड़ी–बूटी, शहद, स्थानीय उत्पाद, ग्रामीण पर्यटन एवं विभागीय योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित हो।

7.4 पेशेवर प्रबंधन एवं सुशासन चयनित समितियों में पेशेवर सचिव/सीईओ, प्रदर्शन–आधारित प्रबंधन प्रणाली, नियमित वित्तीय, प्रदर्शन एवं सामाजिक ऑडिट तथा मानव संसाधन एवं क्षमता विकास ढांचा लागू किया जाए।

7.5 वित्तीय सुदृढ़ीकरण एवं पूंजी निर्माण सदस्यों की शेयर पूंजी एवं आर्थिक भागीदारी बढ़ाने, नवीन राजस्व स्रोतों (कार्बन क्रेडिट, पर्यावरणीय सेवाएँ, वन–आधारित एवं स्थानीय उत्पाद आदि) से जोड़ने तथा डिजिटल बैंकिंग एवं भुगतान प्रणालियों को अपनाने हेतु नीतिगत प्रावधान किए जाएँ।

7.6 सहकारी सिद्धांत एवं सदस्य–केंद्रित शासन लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध AGM, निष्पक्ष चुनाव, सदस्य सहभागिता तथा सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य किये जाये।

7.7 व्यवसाय विकास निधि एवं ब्रांडिंग समर्थन संभावनाशील किंतु घाटे में चल रही सहकारी समितियों के पुनर्जीवन हेतु सहकारी व्यवसाय विकास निधि का गठन तथा "सहकारिता उत्तराखंड ब्रांड" के अंतर्गत पैकेजिंग, विपणन एवं निर्यात सहायता प्रदान की जाए।

7.8 प्रदर्शन निगरानी एवं रैंकिंग सहकारी समितियों के मूल्यांकन हेतु मुख्य प्रदर्शन संकेतक आधारित रैंकिंग एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाए।

7.9 डिजिटल रूरल बैंकिंग मॉडल उत्तराखण्ड के जिला सहकारी बैंकों को डिजिटल रूरल बैंकिंग का राष्ट्रीय/वैश्विक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें एकीकृत डिजिटल मार्केटप्लेस, भविष्यसूचक बैंकिंग एवं जीरो–टच सेवाएँ सम्मिलित हों।

7.10 सहकारी उत्पादों एवं सेवाओं की डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई–कॉमर्स एवं सरकारी खरीद के माध्यम से बाजार पहुँच सुनिश्चित की जाए।

7.11 सहकारी उद्यमों को प्रसंस्करण, ब्रांडिंग एवं विपणन में सक्षम बनाने हेतु समन्वित रणनीति अपनाई जाए तथा वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए।

8. रणनीतिक मिशन स्तंभ IV: समावेशिता को बढ़ावा देना एवं पहुँच का विस्तार

सहकारिता को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना, महिलाओं, युवाओं एवं वंचित वर्गों की सार्थक एवं नेतृत्वकारी भागीदारी सुनिश्चित करना, सहकारी संस्थाओं को सदस्य–केंद्रित एवं उत्तरदायी बनाना, क्षमता संवर्धन के माध्यम से सहकारिता को दीर्घकालिक रूप से सशक्त करना, सहकारिता को एक सामाजिक चेतना एवं जन आंदोलन के रूप में विकसित करना।

समावेशिता को बढ़ावा देना एवं पहुँच का विस्तार सम्बन्धी उद्देश्य प्राप्त करने की रणनीतियाँ

8.1 समावेशी एवं सदस्य–केंद्रित सहकारिता सहकारी व्यवस्था को सदस्य–केंद्रित बनाते हुए समाज के सभी वर्गों तक सहकारिता की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की जाये तथा सहकारी आंदोलन को जन–आधारित विकास आंदोलन के रूप में सुदृढ़ किया जाए।

8.2 महिला सहभागिता एवं सशक्तिकरण प्रत्येक जनपद में पूर्ण महिला सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहित किया जाए। महिला स्वयं सहायता समूहों को सहकारी ढांचे में समाहित कर संस्थागत ऋण, बाजार पहुँच एवं निर्णय–निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

8.3 वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समर्थन प्रबंध समितियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों की अनिवार्य एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा इनके लिए प्रवेश–अनुदान, रियायती ऋण एवं शेयर पूंजी में सरकारी अंशदान के प्रावधान किए जाएँ।

8.4 भौगोलिक एवं भौतिक पहुँच का विस्तार हब–एंड–स्पोक मॉडल के अंतर्गत दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में PACS के सेटेलाइट केंद्र तथा मोबाइल सहकारी इकाइयाँ संचालित की जाएँ।

8.5 सदस्य अधिकार, लाभ एवं कल्याण 'सदस्य अधिकार चार्टर' लागू कर लाभांश वितरण को पारदर्शी बनाया जाए तथा समिति लाभ का एक अंश सहकारी कल्याण कोष में आरक्षित किया जाए।

8.6 पारदर्शिता एवं जवाबदेही समितियों के वित्तीय विवरणों का सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाए तथा सदस्य शिकायतों के निस्तारण हेतु सहकारी लोकपाल की व्यवस्था की जाए।

8.7 युवा एवं महिला सहकारिताएँ तकनीक, पर्यटन, कृषि–प्रसंस्करण एवं नवाचार क्षेत्रों में युवा एवं महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जाए।

8.8 जनभागीदारी एवं सामाजिक जुड़ाव 'सहकार से समृद्धि' अभियान को ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तारित कर सामुदायिक कार्यक्रमों एवं डिजिटल माध्यमों से सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।

9. रणनीतिक मिशन स्तंभ V: नए क्षेत्रों में विस्तार एवं सतत सहकारिता

उत्तराखंड की नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी, सीमित प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव तथा वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता को पारंपरिक कृषि ऋण एवं आपूर्ति तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। राज्य की सहकारी संस्थाओं को क्लाइमेट–स्मार्ट, पर्यावरण–अनुकूल एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) आधारित मॉडल अपनाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक एवं जैविक कृषि, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन, कौशल विकास, मूल्य–संवर्धन, भंडारण, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, वन–आधारित आजीविका, अपशिष्ट प्रबंधनं ग्रीन टेक्नोलॉजी एवं अन्य उभरते आर्थिक क्षेत्रों में संस्थागत रूप से सक्षम बनाया जाएगा। यह रणनीतिक स्तंभ सहकारी समितियों को आधुनिक वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने, राज्य की GDP में सहकारिता के योगदान को बढ़ाने तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

उद्देश्य प्राप्त करने की रणनीतियाँ

9.1 राज्य में सहकारी आंदोलन के विविधीकरण हेतु पारंपरिक कृषि के साथ–साथ प्राकृतिक खेती, हरित ऊर्जा, कृषि–तकनीक, ड्रोन सेवाएँ, कोल्ड–चेन, भंडारण अवसंरचना, ई–मार्केटिंग, जलवायु–स्मार्ट कृषि, कार्बन क्रेडिट, कृषि–लॉजिस्टिक्स एवं अन्य उभरते क्षेत्रों में सहकारी पहलों को नीतिगत समर्थन प्रदान किया जाए।

9.2 स्वास्थ्य सहकारिता के अंतर्गत ग्रामीण, शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में सहकारी अस्पताल, डायग्नोस्टिक केंद्र, जन–औषधि केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सहकारी मॉडल को प्रोत्साहित किया जाए।

9.3 वन–आधारित सहकारिता के माध्यम से लघु वनोपज का वैज्ञानिक संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मूल्य–संवर्धन सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधा जुड़ाव किया जाए।

9.4 ऊर्जा एवं तकनीक आधारित सहकारिता के अंतर्गत सौर ऊर्जा सहकारी समितियों का गठन कर बंजर/अनुपयोगी भूमि पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएं तथा ऊर्जा–आत्मनिर्भर ग्रामों को बढ़ावा दिया जाए।

9.5 प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्र में विभिन्न समितियां जैसे हैडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल, उपभोक्ता समिति, अर्बन कॉपरेबिव बैंक, वर्कर्स सहकारिता, होमवर्कस को–ऑपरेटिव, सेवा प्रदाता समिति, परिवहन सहकारिता, वैकल्पिक उर्जा, सिक्योरिटी सहकारी समिति इत्यादि सहकारी समितियों को बढावा देना।

9.6 अपशिष्ट प्रबंधन सहकारिता के अंतर्गत नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से कचरा संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण तथा जैविक कचरे से खाद, बायोगैस एवं ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए।

9.7 प्राकृतिक कृषि एवं पशुपालन सहकारिता के माध्यम से जैविक इनपुट का उत्पादन एवं सहकारी नेटवर्क द्वारा विपणन सुनिश्चित किया जाये।

9.8 ईको–फ्रेंडली पैकेजिंग हेतु स्थानीय प्राकृतिक रेशों से पर्यावरण–अनुकूल पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन को सहकारी आधार पर बढ़ावा दिया जाए।

9.9 जलवायु–स्मार्ट कृषि के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से प्रशिक्षण, तकनीक एवं उपकरणों का प्रसार कर फसल सुरक्षा एवं आय–निरंतरता सुनिश्चित की जाए।

9.10 जल संरक्षण सहकारिता द्वारा अमृत सरोवर, चाल–खाल एवं पारंपरिक जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार कर सिंचाई सुविधाओं एवं भूजल स्तर में सुधार किया जाए।

9.11 कार्बन क्रेडिट एवं वनीकरण के माध्यम से सहकारी समितियों के लिए सतत राजस्व के नए स्रोत विकसित किए जाएंगे।

9.12 उभरता क्षेत्र कोष के अंतर्गत ड्रोन सेवाएँ, आईटी एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी में कार्यरत सहकारी समितियों को आवश्यकतानुसार इनक्यूबेशन अनुदान दिया जाए।

9.13 सहकारी पर्यटन एवं होम–स्टे मॉडल के अंतर्गत सहकारी होम–स्टे नेटवर्क एवं एग्रो–टूरिज्म ग्राम विकसित किए जाएं। लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग सहकारिता के माध्यम से कोल्ड–चेन, रेफ्रिजरेटेड परिवहन एवं अंतिम–मील कनेक्टिविटी विकसित की जाए।

9.14 उन्नत तकनीक एवं नवाचार बैंकिंग एवं सहकारी संचालन में AI–आधारित ऋण मूल्यांकन, ब्लॉकचेन–आधारित रिकॉर्ड, डिजिटल रुपया, IoT–आधारित गोदाम एवं स्मार्ट लॉजिस्टिक्स को चरणबद्ध रूप से अपनाया जाए।

9.15 बागवानी विकास हेतु ऊर्जा–सक्षम सहकारी अवसंरचना–राज्य में बागवानी उत्पादों के भंडारण, गुणवत्ता संरक्षण एवं मूल्य–संवर्धन हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों में सामान्य गोदामों को सोलर एवं अन्य वैकल्पिक ऊर्जा से संचालित कोल्ड–स्टोरेज, Controlled Atmosphere स्टोर्स तथा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे ऊर्जा–लागत में कमी, अपव्यय नियंत्रण एवं सहकारी उद्यमों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो।

9.16 राज्य में यात्री एवं माल परिवहन सेवाओं हेतु सहकारी मॉडल को प्रोत्साहित करते हुए "सहकार टैक्सी" सहित सहकारी परिवहन समितियों का गठन कर सदस्य–आधारित स्वामित्व एवं संचालन सुनिश्चित किया जाए। मानकीकृत किराया, सुरक्षित एवं पारदर्शी परिचालन, डिजिटल बुकिंग व भुगतान, चालक प्रशिक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ पर्यावरण–अनुकूल वाहनों को प्राथमिकता दी जाए।

10. रणनीतिक मिशन स्तंभ VI: सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना

युवा पीढ़ी, विशेषकर ग्रामीण, शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों के युवाओं तथा महिलाओं को सहकारी मूल्यों, अनुभव–आधारित ज्ञान एवं कौशल–विकास के माध्यम से सहकारी क्षेत्र से जोड़ना तथा सहकारिता को एक दीर्घकालिक, सम्मानजनक एवं प्रतिस्पर्धी करियर विकल्प के रूप में स्थापित करना। इसके अंतर्गत सहकारिता–केंद्रित मानकीकृत पाठ्यक्रमों का विकास, सक्षम मानव संसाधन एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता, कौशल–उन्नयन हेतु सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण तथा सहकारी समितियों में नियुक्ति एवं करियर अवसरों तक पहुँच को सरल, पारदर्शी एवं सुलभ बनाना।

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने सम्बन्धी उद्देश्य प्राप्त करने की रणनीतियाँ

10.1 युवाओं को सहकारी करियर हेतु प्रेरित करना

10.1.1 सहकारी इंटर्नशिप कार्यक्रमः स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवाओं के लिए जिला सहकारी बैंकों, शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं प्राथमिक समितियों में संरचित एवं सशुल्क इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित किए जाएं, जिससे "लर्निंग व्हाइल अर्निंग" के सिद्धांत पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके।

10.1.2 सहकारी स्टार्टअप एवं उद्यमिता समर्थनः सहकारी उद्यम प्रारंभ करने वाले युवाओं को नवाचार, एग्री–बिजनेस, ग्रीन इकोनॉमी एवं सेवा क्षेत्रों में संस्थागत, तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

10.1.3 युवा सहकारी ब्रांड एंबेसडरः सफल युवा सहकारी उद्यमियों को ब्रांड एंबेसडर के रूप में नामित कर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रेरक संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

10.1.4 युवा जुड़ाव एवं सहकारी साक्षरताः विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में सहकारी साक्षरता कार्यक्रम, इंटर्नशिप एवं सहकारी उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाए तथा एग्री–टेक एवं ग्रामीण स्टार्टअप्स को

सहकारी मॉडल अपनाने हेतु विशेष समर्थन प्रदान किया जाए।

10.2 पाठ्यक्रम विकास एवं शैक्षणिक एकीकरण

10.2.1 मानकीकृत सहकारी पाठ्यक्रमः राज्य के विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों के सहयोग से सहकारी प्रबंधन, एग्री–बिजनेस एवं ग्रामीण उद्यमिता पर सर्टिफिकेट एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं।

10.2.2 स्थानीय केस–स्टडी आधारित शिक्षण सामग्रीः उत्तराखंड की भौगोलिक एवं आर्थिक विशेषताओं पर आधारित व्यावहारिक, संदर्भ–सापेक्ष एवं स्थानीय अध्ययन सामग्री का विकास किया जाए।

10.2.3 डिजिटल लर्निंग हबः सहकारी सिद्धांत, बैंकिंग, उद्यमिता एवं तकनीकी कौशल से संबंधित ई–लर्निंग मॉड्यूल हेतु एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए।

10.3 कौशल विकास एवं सहकारी इकोसिस्टम सुदृढ़ीकरण

10.3.1 कौशल उन्नयन कार्यक्रमः युवाओं एवं महिला समूहों हेतु डिजिटल मार्केटिंग, लेखांकन, वैधानिक अनुपालन एवं आधुनिक पैकेजिंग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

10.3.2 सहकारी कौशल विकास केंद्रः प्रत्येक जनपद में चयनित प्रशिक्षण संस्थानों को सहकारी कौशल विकास केंद्र के रूप में उन्नत किया जाए।

10.3.3 महिला उद्यमिता संवर्धनः महिला सदस्यों के लिए पृथक तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाएं।

10.4 क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयनः 'सहकारी कौशल विकास मिशन' के अंतर्गत सदस्यों को उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन एवं ई–कॉमर्स से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

10.5 मानव संसाधन पूल एवं विशेषज्ञता विकास

10.5.1 पार्ट–टाइम विशेषज्ञ पूलः सेवानिवृत्त अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों, बैंकिंग एवं उद्योग विशेषज्ञों का राज्य–स्तरीय विशेषज्ञ डेटाबेस तैयार किया जाए।

10.5.2 अतिथि संकाय व्यवस्थाः अनुभवी सहकारी नेतृत्वकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों को अतिथि संकाय के रूप में

सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षण गतिविधियों से जोड़ा जाए।

10.5.3 **प्रशिक्षक–प्रशिक्षण प्रणालीः** मास्टर ट्रेनर्स का विकास कर ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर युवाओं एवं सहकारी कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

10.6 भर्ती प्रक्रिया का सरलीकरण एवं करियर इकोसिस्टम

10.6.1 सहकारी जॉब पोर्टलः राज्य स्तर पर एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए।

10.6.2 मानकीकृत चयन प्रणालीः पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सहकारी संस्थाओं में चयन प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राजकीय स्वतंत्र स्वायत्त चयन संस्था के माध्यम से किया जाए।

10.6.3 करियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शनः प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सहकारी करियर परामर्श एवं मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएं।

10.7 अनुसंधान, नवाचार एवं नीति समर्थन

10.7.1 सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार एवं साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करने हेतु त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, आनंद के सहयोग से एक राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना की जाए।

10.7.2 यह इकाई अनुसंधान एवं विकास, पायलट परियोजनाओं, प्रभाव मूल्यांकन, क्षमता संवर्धन तथा राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार के थिंक–टैंक एवं कार्यान्वयन सहयोगी के रूप में कार्य करेगी।

10.8 सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का संस्थागत ढाँचा

10.8.1 राज्य में उत्तराखंड सहकारी कॉर्पोरेट ग्रामीण प्रबंधन कृषि व्यवसाय और प्रशिक्षण संस्थान (UICCRMT) की स्थापना एक राज्य स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान के रूप में की जाए।

10.8.2 यह संस्थान सहकारी प्रबंधन, एग्री–बिजनेस, वित्त, विपणन एवं ग्रामीण विकास से संबंधित डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं उन्नत शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करे।

10.8.3 गढ़वाल मंडल व कुमाऊं मंडल में आवश्यकतानुसार जूनियर कोऑपरेटिव प्रशिक्षण केन्द्र (JCTCs) स्थापित

किए जाएं।

10.8.4 देहरादून स्थित सहकारी प्रबंध संस्थान की भूमि पर राष्ट्र स्तरीय सहकारी संस्थान स्थापित किया जाए।

10.8.5 राष्ट्रीय स्तरीय ख्याति प्राप्त संस्थान एवं अन्य राज्यों के सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों (TSU, VAMNICOM, BIRD, ICCMRT, LINAC etc.) से साझेदारी स्थापित करना।

11. रणनीतिक मिशन स्तंभ VII: आर्थिक व्यवहार्यता और विविधीकरण

उत्तराखंड में सहकारी संस्थाओं को दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर, लाभकारी एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहकारिता नीति के अंतर्गत आर्थिक व्यवहार्यता एवं विविधीकरण को एक प्रमुख रणनीतिक स्तंभ के रूप में अपनाया जाए। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को केवल ऋण वितरण या पारंपरिक गतिविधियों तक सीमित न रखकर बहुआयामी व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में विकसित करना है।

आर्थिक व्यवहार्यता और विविधीकरण सम्बन्धी उद्देश्य प्राप्त करने की रणनीतियाँ

11.1 प्राथमिक सहकारी संस्थाओं का बहुआयामी विकास

11.1.1 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान, प्रमाणपत्र सेवाएँ एवं सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके।

11.1.2 समितियों के पूर्ण कंप्यूटरीकरण, कोर बैंकिंग एकीकरण एवं डिजिटल लेखांकन के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जाए तथा परिचालन लागत में कमी लाई जाए।

11.2 ग्रीन इकोनॉमी एवं प्राकृतिक संसाधन–आधारित गतिविधियाँ

11.2.1 सहकारी संस्थाओं को जलवायु–अनुकूल कृषि, वनीकरण, कार्बन क्रेडिट, पिरुल प्रबंधन, बायो–एनर्जी, जैव–उर्वरक एवं अपशिष्ट–से–संपदा जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाए।

11.2.2 पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ टिकाऊ एवं भविष्य–उन्मुख आय स्रोत विकसित किए जाएं।

11.3 बैंकिंग, वित्तीय पहुँच एवं कर अनुपालन

11.3.1 सहकारी संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, कैश–क्रेडिट, वैल्यू–चेन फाइनेंस एवं बीमा उत्पादों से प्रभावी रूप से

जोड़ा जाए।

11.3.2 कर अनुपालन को सरल बनाने हेतु डिजिटल कर प्रबंधन, परामर्श एवं क्षमता निर्माण की व्यवस्था की जाए।

11.4 पेशेवर प्रबंधन एवं क्षमता संवर्धन

11.4.1 सहकारी समितियों के सचिवों, प्रबंधकों एवं बोर्ड सदस्यों हेतु वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग, उद्यमिता एवं डिजिटल दक्षता पर केंद्रित प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाए।

11.4.2 सहकारी संस्थाओं को अनुदान–निर्भर इकाइयों के स्थान पर व्यावसायिक रूप से संचालित संस्थानों के रूप में विकसित किया जाए।

11.5 वित्तीय अनुशासन एवं प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन

11.5.1 शेयर पूंजी वृद्धि, समयबद्ध लेखा–परीक्षा, बेहतर ऋण वसूली एवं लाभप्रद संचालन को प्रोत्साहित किया जाए।

11.5.2 प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ किया जाए।

11.6 वित्तीय दायित्वों का युक्तिसंगत निस्तारण

11.6.1 वर्षों से लंबित, अप्राप्य अथवा तकनीकी रूप से अव्यवहार्य बकायों के निस्तारण हेतु विशेष नीति अपनाई जाए।

11.6.2 बैलेंस शीट को यथार्थपरक एवं स्वच्छ बनाकर संस्थाओं की वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट की जाए।

11.6.3 राज्य के सहकारी बैंकों को RBI के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत सभी मानदंडों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए । उन्हें अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोलने, एटीएम स्थापित करने और अपने सदस्यों को यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

11.7 ऋण चूक की पहचान एवं नियंत्रण

11.7.1 ऋण अदायगी में चूक के मूल कारणों की पहचान हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर विशेष विश्लेषण तंत्र विकसित किया जाए।

11.7.2 जानबूझकर की गई चूक, प्रणालीगत कमियों एवं प्रबंधन त्रुटियों पर सुधारात्मक एवं आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई, जहां आवश्यक हो।

11.8 घाटे में संचालित संस्थाओं का पुनरुद्धार

11.8.1 निरंतर घाटे में चल रही सहकारी समितियों के लिए पृथक पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन मॉडल विकसित किया जाए।

11.8.2 व्यवसाय पुनर्संरचना, प्रबंधन सुधार एवं वैकल्पिक आय गतिविधियों के माध्यम से उन्हें पुनः लाभप्रद बनाया जाए।

11.9 प्रशासनिक व्ययों पर नियंत्रण

11.9.1 अनावश्यक प्रशासनिक व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए।

11.9.2 निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक व्यय हेतु सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य किया जाए।

11.10 सहकारी ऋण प्रणाली में पारदर्शिता

11.10.1 शीर्ष सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं प्राथमिक समितियों के मध्य ब्याज मार्जिन का स्पष्ट, पारदर्शी एवं युक्तिसंगत निर्धारण किया जाए।

11.10.2 शुल्कों का युक्तिकरण कर अनावश्यक भार समाप्त किया जाए तथा ऋण वसूली व्यवस्था को न्यायसंगत बनाया जाए।

11.11 PACS का बहु–आयामी राजस्व मॉडल PACS को "डिजिटल विलेज बैंक" के रूप में विकसित करते हुए बैंकिंग सहायक सेवाएँ, बीमा–पेंशन कमीशन, ऋण प्रसंस्करण शुल्क, कृषि–इनपुट रिटेल, जन–औषधि, PDS संचालन, कस्टम हायरिंग, वेयरहाउसिंग, मूल्य संवर्द्धन एवं ई–कॉमर्स साझेदारी से आय के विविध स्रोत विकसित किए जाएं।

11.12 जिला सहकारी बैंकों का डिजिटल रूपांतरण जिला सहकारी बैंकों को चरणबद्ध रोडमैप के माध्यम से डिजिटल ग्रामीण वित्तीय हब के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें क्लाउड–आधारित CBS, PACS–बैंक एकीकरण, मोबाइल–फर्स्ट सेवाएँ एवं बायोमेट्रिक लेन–देन शामिल हों।

11.13 डिजिटल एवं प्रणालीगत सुधार सहकारी क्षेत्र में डिजिटलीकरण, डेटा–आधारित निर्णय प्रणाली एवं रियल–टाइम निगरानी को बढ़ावा देकर नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाए।

11.14 ऋण एवं लेखांकन सुधार सहकारी बैंकों एवं PACS में एकीकृत ऋण सीमा प्रणाली, कोर बैंकिंग एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित ऋण, लेखांकन एवं पुनर्भुगतान व्यवस्था लागू की जाए।

11.15 सुलभ वित्त तक पहुँच सहकारी समितियों, विशेषकर लघु एवं सीमांत उद्यमों के लिए किफायती, समयबद्ध एवं सुलभ ऋण तथा पूंजी उपलब्ध कराने हेतु संस्थागत तंत्र सुदृढ़ किया जाए।

12. विविध

12.1 सहकारिता की मूल भावना " सहकारिता में सहकार " को संस्थागत रूप देते हुए सहकारी संस्थाओं के मध्य वित्त, विपणन, प्रशिक्षण, तकनीक, मानव संसाधन एवं अवसंरचना के क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग, संसाधन–साझेदारी एवं संयुक्त कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सहकारी–से–सहकारी सहयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र–विशिष्ट समझौता ज्ञापन, साझा सेवाओं एवं संयुक्त परियोजनाओं की व्यवस्था विकसित की जाए।

12.2 कोऑपरेटिव–कॉरपोरेट पार्टनरशिप मॉडल: राज्य में सहकारी संस्थाओं की आर्थिक सुदृढ़ता, बाजार पहुँच एवं तकनीकी दक्षता बढ़ाने हेतु सहकारी सिद्धांतों के अधीन कोऑपरेटिव–कॉरपोरेट मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सहकारिता विभाग की स्वीकृति एवं निगरानी में उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य–संवर्धन, भंडारण, लॉजिस्टिक्स, विपणन, तकनीक एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहकारी एवं कॉरपोरेट/निजी इकाइयों के मध्य पारस्परिक लाभ पर आधारित साझेदारी की अनुमति होगी, बशर्ते सहकारी संस्थाओं का सदस्य–स्वामित्व, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं स्वायत्तता पूर्णतः सुरक्षित रहे।

12.3 राज्य में आवास सहकारी समितियों के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध विकास हेतु सहकारिता विभाग, विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिकाएँ, आवास एवं शहरी विकास से संबंधित अन्य विभागों के मध्य संस्थागत समन्वय एवं सहयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस उद्देश्य से सहकारिता विभाग को नोडल विभाग के रूप में कार्य करते हुए विकास प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों के साथ समन्वित कार्यप्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे भूमि आवंटन, ले–आउट स्वीकृति, मानचित्र अनुमोदन, उपयोग परिवर्तन, पंजीकरण तथा उद्देश्य–पूर्ति उपरांत रख–रखाव संबंधी प्रक्रियाएँ सरलीकृत, मानकीकृत एवं समयबद्ध हो सकें।

12.4 स्वायत्त (सेल्फ–रिलायंट) सहकारिता अधिनियम सहकारी संस्थाओं को स्वशासन प्रदान करते हुए सदस्य–नियंत्रण, पारदर्शिता एवं व्यावसायिक दक्षता को सुदृढ़ करने का प्रभावी माध्यम है। उत्तराखंड में इसके सीमित प्रसार, क्षमता–अभाव, तथा डिजिटल प्रणालियों के आंशिक उपयोग के कारण इसकी पूर्ण क्षमता अभी साकार नहीं हो पाई है। स्वायत्त सहकारिताओं के लिए स्पष्ट रोडमैप, मानक संचालन प्रक्रिया, क्षमता–निर्माण एवं हैंडहोल्डिंग व्यवस्था, समर्पित वित्तीय सहायता, मूल्य–संवर्धन एवं विपणन समर्थन तथा ई–गवर्नेंस, ई–ऑडिट एवं सामाजिक–ऑडिट को प्रोत्साहित किया जाए।

12.5 उत्तराखंड राज्य में शीर्ष/एपेक्स सहकारी संस्थाएँ को स्वावलंबी, व्यावसायिक एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु राज्य सहायता को संरचित एवं प्रदर्शन–आधारित किया जाए। इनके लिए स्पष्ट कार्य–भूमिका, व्यावसायिक विविधीकरण,

क्षमता–विकास तथा तकनीकी आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए। सुदृढ़ मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन तंत्र, वार्षिक प्रदर्शन संकेतक (KPIs), नियमित लेखा एवं सामाजिक ऑडिट तथा डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए।

12.6 उत्तराखंड राज्य में क्रेडिट सहकारी समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि ग्रामीण, पर्वतीय एवं वंचित क्षेत्रों में संस्थागत बैंकिंग क्रेडिट की पहुँच बढ़ाई जा सके। क्रेडिट सहकारी समितियों को सदस्य–केंद्रित, पारदर्शी एवं व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाते हुए उन्हें जिला/राज्य सहकारी बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए। क्रेडिट सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि, स्वरोजगार, सूक्ष्म उद्यम एवं आजीविका गतिविधियों हेतु सस्ता एवं समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन, आत्मनिर्भरता एवं सहकारी बैंकिंग प्रणाली को सशक्त किया जाए।

12.7 सहकारी संस्थाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड में सहकारी संस्थाओं के लिए गठित सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को सशक्त किया जाएगा। अन्य राज्यों की भाँति स्पष्ट विधिक दर्जा, स्वतंत्र कार्यप्रणाली, पर्याप्त प्रशासनिक एवं तकनीकी संसाधन, डिजिटल निर्वाचन प्रणाली तथा मानकीकृत निर्वाचन प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही एवं सदस्य–विश्वास को सुदृढ़ करते हुए अनावश्यक विवादों में कमी और सहकारी व्यवस्था की संस्थागत मजबूती सुनिश्चित की जाएगी।

12.8 सहकारी संस्थाओं से संबंधित विवादों के त्वरित, निष्पक्ष एवं विशेषज्ञतापूर्ण निस्तारण हेतु उत्तराखंड सहकारी न्यायाधिकरण को सुदृढ़ किया जाएगा। न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के लिए समयबद्ध वाद–निस्तारण, स्पष्ट प्रक्रिया, डिजिटल फाइलिंग, ई–हियरिंग तथा आदेशों के पारदर्शी प्रकटीकरण की व्यवस्था की जाएगी। सहकारी संस्थाओं के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया–सरलीकरण, अनावश्यक विलंब में कमी तथा वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को प्रोत्साहित किया जाए।

12.9 सहकारी संस्थाओं में कुशल, पारदर्शी एवं समयबद्ध मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी भर्ती प्रक्रिया तथा सहकारी संस्थाओं के लिए स्थापित संस्थागत सहकारी सेवा मंडल को और अधिक सशक्त, प्रभावी एवं सहकारी संस्थाओं के अनुकूल बनाया जाएगा। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, मेरिट–आधारित चयन, डिजिटल आवेदन एवं परीक्षा प्रणाली, स्पष्ट सेवा शर्तें तथा समयबद्ध नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। सहकारी सेवा मंडल को व्यावसायिक दक्षता, उत्तरदायित्व एवं निगरानी तंत्र से युक्त करते हुए सहकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन नियोजन, प्रशिक्षण एवं क्षमता–विकास की व्यवस्था की जाएगी, जिससे सहकारी संस्थाओं के संचालन में पेशेवरता, स्थायित्व एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके।

12.10 सहकारिता शिक्षा, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर नीति–उत्तराखंड में सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़, पारदर्शी एवं पेशेवर संचालन हेतु सहकारी सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए उच्च गुणवत्ता एवं आवश्यकता–आधारित शिक्षा, प्रशिक्षण एवं ज्ञान अर्जन की समेकित व्यवस्था लागू की जाएगी। नेतृत्व विकास, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल, विधि एवं अनुपालन, व्यवसाय प्रबंधन तथा क्षेत्र–विशेष दक्षताओं पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं। अन्य राज्यों एवं राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर की सफल सहकारी संस्थाओं के साथ एक्सपोजर विजिट/एक्सकर्शन को प्रोत्साहित कर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान सुनिश्चित किया जाएगी।

12.11 उत्तराखंड राज्य में सहकारी मानव संसाधन के सतत विकास, नवाचार एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारी शिक्षा निधि तथा सहकारी शोध एवं विकास निधि का संचालन उत्तराखण्ड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लि0 के माध्यम से किया जाएगा। उक्त निधियों के उपयोग को शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता–विकास, शोध, नवाचार, डिजिटल परिवर्तन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार से जोड़ा जाएगा।

12.12 जड़ी–बूटी एवं सुगंधित खेती को सहकारी मॉडल के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कृषकों को संगठित उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य–संवर्धन एवं विपणन का लाभ प्राप्त हो सके। सहकारी समितियों/एफपीओ के माध्यम से गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, आसवन/प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा सुनिश्चित बाजार एवं कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए।

12.13 समितियों द्वारा निर्मित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं के प्रभावी विपणन को प्रोत्साहित करने, आर्थिक व्यवहार्यता को सुदृढ़ करने तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की एमएसएमई (डीपीपी) नीति के अनुरूप खरीद में वरीयता का प्रावधान किया जाए। राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों, निकायों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली खरीद में सहकारी समितियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए।

12.14 उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक एवं सामरिक परिस्थितियों के दृष्टिगत सहकारिता मॉडल को सीमांत क्षेत्रों में संचालित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय आजीविका, रोजगार एवं सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके।

12.15 अर्बन सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से सुदृढ़, तकनीकी रूप से सक्षम एवं सुशासित बनाने हेतु पूंजी सुदृढ़ीकरण, डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा एवं नियामकीय अनुपालन को प्राथमिकता दी जाएगी। बैंक प्रबंधन में पेशेवरता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करते हुए प्रभावी निगरानी एवं डिजिटल मॉनिटरिंग तंत्र के माध्यम से अर्बन सहकारी बैंकों को स्थानीय आर्थिक विकास, एमएसएमई वित्तपोषण तथा सहकारी बैंकिंग प्रणाली के एक मजबूत एवं

विश्वसनीय स्तंभ के रूप में विकसित किया जाएगा।

12.16 उत्तराखंड राज्य में मत्स्य एवं डेयरी सहकारी समितियों के समग्र विकास हेतु सहकारिता विभाग, डेयरी विभाग एवं मत्स्य विभाग के मध्य संस्थागत समन्वय एवं समूहगत कार्यप्रणाली स्थापित की जाएगी।

12.17 सहकारी बैंकों और ऋण समितियों द्वारा ऋण आवेदनों के मूल्यांकन, मंजूरी और वितरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के विवेकपूर्ण मानदंडों (Prudential Norms) के अनुरूप मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्थापित की जाएगी। ऋण वसूली के लिए एक मजबूत और पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाए।

12.18 सभी प्रकार की सहकारी समितियों के लिए समवर्ती और आंतरिक ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा, जिसमें से प्रतिवर्ष न्यूनतम निर्धारित संख्या में ऑडिट का कार्य राजकीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा भी कराया जाएगा।

13. निगरानी और कार्यान्वयन संरचना

13.1 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति 2026 का कार्यान्वयन सहकारिता की मूल भावना पर आधारित होगा। सहकारी संरचना को देखते हुये नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार से सम्बन्धित विभागों, शीर्ष सहकारी संस्थाये, केन्द्रीय सहकारी संस्थायें, प्राथमिक सहकारी समितियां, मत्स्य सहकारी समितियां, दुग्ध सहकारी समितिया एवं अन्य समस्त सहकारी समितियां एवं स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत गठित सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होगी। इसमें सेक्टोरल विकास संस्थान जैसे NABARD, NCDC, NFDB, NDDB इत्यादि भी शामिल हैं।

13.2 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति का प्रभावशाली और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग में एक '' नीति कार्यान्वयन प्रकोष्ठ'' स्थापित किया जाये, जिसके दस्तावेजीकरण, समन्वय, निगरानी, रिपोर्टिंग इत्यादि सुनिश्चित की जायेगी।

13.3 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति के कार्यान्वयन निगरानी के लिये निम्नलिखित द्वारा एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की जाएगी।

13.3.1 समग्र मार्गदर्शन एवं उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति 2026 की आवधिक समीक्षा के लिए सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में सहकारिता नीति पर '' राज्य स्तरीय संचालन समिति '' का गठन किया जाएगा। उपरोक्त समिति में सदस्य के रूप में राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों के मत्रियों को सम्मिलित किया जा सकता

है। यह समिति समय–समय पर नीतिगत विषयों पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

13.3.2 राज्य समन्वय, कार्यान्वयन समस्याओ का समाधान और समीक्षा के लिये मुख्य सचिव अथवा कषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में '' राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति '' का गठन किया जाएगा। इस समिति में सम्बन्धित विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, शीर्ष सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक एवं नाबार्ड, एन0सी0डी0सी0, आर0बी0आई0, टी0एस0यू0 के प्रतिनिधि एवं सहकारिता क्षेत्र के 02 अनुभवी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

13.3.3 जिला स्तरीय समन्वय, कार्यान्वयन समस्याओ का समाधान, आवधिक निगरानी और समीक्षा आदि के लिये जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में '' जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति '' का गठन किया जायेगा। इसमें जनपद स्तरीय रेखीय विभागों, सहकारी संस्थानों के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं सहकारिता क्षेत्र के 02 अनुभवी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

14. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति कार्यान्वयन रोडमैप

14.1 कार्यान्वयन रोडमैप (2026–2036)

चरण–1 : 2026–2027 (आधारभूत चरण)

- विधिक सुधार, एमआईएस (MIS) की स्थापना तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
- राज्य की समस्त सहकारी संस्थाओं का पूर्ण डिजिटलाइजेशन।

चरण–2 : 2028–2031 (विस्तार एवं पहुँच)

- ग्राम पंचायत स्तर तक सहकारी संस्थाओं का सार्वभौमिक विस्तार।
- मूल्य श्रृंखला आधारित क्लस्टरों की स्थापना।

चरण–3 : 2032–2036 (समेकन एवं सुदृढ़ीकरण)

- पर्वतीय आधारित सहकारी उद्यमों के क्षेत्र में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना।
- निर्यात उन्मुख सहकारी मूल्य श्रृंखलाओं का विकास।

- औषधीय उत्पादों, हस्तशिल्प, दुग्ध, पशुपालन, मत्स्यिकी एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए वैश्विक ब्रांडिंग का विकास।

15. निष्कर्ष

उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति, 2026 का उद्देश्य एक ऐसे आधुनिक स्वच्छ सहकारी पारितंत्र का निर्माण करना है जो आजीविका सुरक्षा, समावेशी विकास तथा सतत परिवर्तन को गति प्रदान कर सके। राष्ट्रीय सहकारी नीति के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति, 2026 का ढांचा सहकारी संस्थाओं को हिमालयी राज्य में ग्रामीण समृद्धि एवं सामुदायिक कल्याण के प्रमुख संवाहक के रूप में स्थापित करता है। उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति, 2026 एक दूरदर्शी और व्यापक ढांचा है जिसमें राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। डिजिटलीकरण, विविधीकरण, पारदर्शी एवं पेशेवर शासन और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित करके यह एक लचीला और समृद्ध सहकारी क्षेत्र बनाने की नींव रखता है।

इस नीति की सफलता अंततः इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि इसके सूक्ष्म और लचीले कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। मुख्य प्राथमिकताओं में सहकारी सदस्यों और अधिकारियों के लिए गहन क्षमता निर्माण, विषम भोगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र–विशिष्ट व्यावसायिक योजनाएं विकसित करना, और व्यावसायिकता बाजार–उन्मुखता की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिए। सफल मॉडलों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर और उन्हें अपनाकर उत्तराखंड राज्य वास्तव में 'सहकार से समृद्धि' के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संपन्न, समावेशी और टिकाऊ सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है।

हमारा संकल्प

सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास, आर्थिक सशक्तिकरण एवं सतत समृद्धि की दिशा में उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाना।

हमारे उद्देश्य

- सहकारिता संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार
- कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, हस्तशिल्प एवं अन्य क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा
- सदस्यों की आय व आजीविका में वृद्धि
- पारदर्शिता, सुशासन एवं डिजिटल सशक्तिकरण
- युवा एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना













उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड
मुख्यालय :
रायपुर–तुनवाला रोड, मियांवाला, देहरादून।
https://cooperative.uk.gov.in/